

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२०

### मध्यप्रदेश साहूकार ( संशोधन ) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (सात) में, उपखण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

धारा २ का संशोधन.

“(घ क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) की धारा ४५-आई (च) में यथापरिभाषित किसी “गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी” द्वारा अग्रिम दिया गया कोई उधार,”

३. मूल अधिनियम की धारा २-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा २-ख का अन्तःस्थापन.

“२-ख. कोई भी साहूकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं करेगा.”

ब्याज की सीमा.

४. मूल अधिनियम की धारा ११-च च को धारा ११-चच के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा ११-चच के पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा ११-च च का पुनर्क्रमांकित किया जाना तथा नवीन धारा ११-चच का अन्तःस्थापन.

“११-चच. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा ११-ख के अधीन अरजिस्ट्रीकृत किसी साहूकार द्वारा, किसी व्यक्ति को अग्रिम दिया गया कोई उधार विधि के किसी न्यायालय में तब तक वसूलनीय नहीं होगा जब तक कि वाद दायर किए जाने के समय साहूकार प्रभावी रजिस्ट्रीकरण न रखता हो और न्यायालय का समाधान न हो गया हो कि अग्रिम दिए गए उधार धारा २-ख के अनुसरण में थे.”

अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा दिया गया उधार कतिपय परिस्थितियों में वसूलनीय नहीं होगा.

५. मूल अधिनियम की इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा ११-चच में, पार्श्व शीर्ष में और उपबंध में, शब्द, अंक तथा अक्षर, “धारा २-क”, जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “धारा २-क, धारा २-ख” स्थापित किए जाएं.

धारा ११-चच का संशोधन.

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह अनुभव किया गया है कि कुछ अरजिस्ट्रीकृत साहूकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में धन उधार देने का व्यवसाय चला रहे हैं तथा किसानों एवं गरीब व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं, अतएव, साहूकारों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर की उच्चतर सीमा नियत किए जाने का विनिश्चय किया गया है और उसका उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा. यह भी उपबंधित किया गया है कि अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा अग्रिम दिया गया समस्त उधार कतिपय परिस्थितियों में वसूलनीय नहीं होगा. अतएव, मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १५ सितम्बर २०२०

गोविन्द सिंह राजपूत

भारसाधक सदस्य.

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-३ द्वारा साहूकार को ब्याज की दर की सीमा विनिश्चित किए जाने के संबंध में विधायनी शक्ति का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा।

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

